

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 634]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 12, 2014/फाल्गुन 21, 1935

No. 634]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 12, 2014/PHALGUNA 21, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2014

का.आ. 743(अ).— यतः मैं. लक्सर साइबर सिटी प्राईवेट लिमिटेड, जो हरियाण राज्य में एक निजी संगठन है, ने हरियाणा राज्य में ग्राम सिकोहपुर तहसील, सोहना, जिला-गुडगाँव में प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं, के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 27 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 680(अ) में 27.07845 हेक्टेयर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया था;

और यतः केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 15 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1761(अ) के द्वारा उक्त में 7.904188588 के एक अतिरिक्त क्षेत्र को अधिसूचित किया था ।

और यतः केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए 7.904188588 है, के एक क्षेत्र को अनिधसूचित किया था जिसके बाद दिनांक 13 सितम्बर, 2010 की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं 2260 (अ) के द्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में 27.07845 है का क्षेत्र बनता है;

और यतः मै. लक्सर साइबर सिटी प्राईवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन की 27.07845 है के समस्त क्षेत्र को अनिधसूचित करने का प्रस्ताव किया हैं और हरियाणा सरकार ने उनके दिनांक 17.01.2014 के पत्र संख्या एसईजेड/लक्सर/जीजीएन/65 (डीआईएण्डसी) के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया है ।

और यतः विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 27.07845 हैक्टेयर के समस्त क्षेत्र को अनिधसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है ।

1115 GI/2014

अब इस प्रकार विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा निरसन से पूर्व किए गए अथवा न किए गए कार्यों को छोड़कर उपर्युक्त अधिसूचना को निरस्त करती है।

[फा. सं. एफ. 2/31/2006-ईपीजेड]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2014

S.O. 743(E).— Whereas M/s. Luxor Cyber City Private Limited, a Private Organisation in the State of Haryana, had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at village Sikohpur, Tehsil Sohna, District Gurgaon in the State of Haryana;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with Rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, had notified an area of 27.07845 hectares at above Special Economic Zone *vide* the Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 680(E), dated 27th April, 2007;

And, whereas, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with Rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, had notified an additional area of 7.904188588 hectares in the above Special Economic Zone *vide* the Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1761(E), dated 15th October, 2007;

And, whereas, the Central Government in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 read with Rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, had de-notified an area of 7.904188588 hectares, thereby making resultant area as 27.07845 hectares at the above Special Economic Zone vide the Ministry of Commerce and Industry Notification No. S.O. 2260(E), dated 13th September, 2010;

And, whereas, M/s. Luxor Cyber City Pvt. Ltd. has now proposed to de-notify the entire of 27.07845 hectares of the above Special Economic Zone and the State Government of Haryana has given its "No Objection" to the proposal vide letter No. SEZ/Luxor/GGN/65(DI&C) dated 17.01.2014;

And, whereas, the Development Commissioner, Noida Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of the entire area of 27.07845 hectares of the Special Economic Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rule 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F. 2/31/2006-EPZ]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.